



प्रेस नोट थाना साइबर क्राइम

जनपद बागपत

दिनांक 01.10.2026

थाना साइबर क्राइम बागपत टीम द्वारा विभिन्न इंश्योरेंस बीमा कंपनी का स्वयं को अधिकारी/कर्मचारी बनकर पॉलिसी धारकों से लैप्स पॉलिसी को रिन्यू कराने, लाभ/बोनस दिलाने का लालच देकर साइबर फ्रॉड करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 08 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से साइबर फ्रॉड से अर्जित संपत्ती से 01 स्कॉर्पियो-एन गाड़ी, 01 यामाहा FZ बाइक, 16 मोबाइल फोन, 07 डेबिट कार्ड, 04 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 01 ड्राइविंग लाइसेंस, 01 पासबुक, 15 सिम लिफाफे, 02 गेमिंग कार्ड, 01 प्रेस कार्ड, 02 चेन पीली धातु, 07 बालियाँ पीली धातु, 02 अंगूठी पीली धातु, 01 चेन सफेद धातु, 02 बालियाँ सफेद धातु, 02 अंगूठी सफेद धातु, 01 ब्रेसलेट सफेद धातु, 01 हाथ का कड़ा सफेद धातु, 01 छल्ला सफेद धातु व 19000 रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.09.2026 को थाना साइबर क्राइम बागपत पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उसके एक्सिस बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू कराने व बोनस का लालच देकर भिन्न-भिन्न तिथियों में कुल 2,87,984 रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर करवा लिये गये । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर मुकदमा अपराध संख्या- 47/2026 धारा 318(4)/111(2) II बीएनएस व 66(D) IT Act पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना साइबर क्राइम बागपत द्वारा थाने के मु0अ0सं0 47/2026 धारा 318(4)/111(2)॥ बीएनएस व 66(D) IT Act के अन्वेषण हेतु थाना साइबर क्राइम पर टीम का गठन किया गया था। जिसके द्वारा उक्त मुकदमे में कार्यवाही करते हुए उक्त मुकदमें के तथ्यों जैसे एकाउन्ट नं0, कॉलिंग मोबाइल नं0, NCRP PORTAL पर शिकायतें आदि के आधार पर 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से साइबर फ्रॉड से अर्जित संपत्ति से 01 स्कॉर्पियो-एन गाड़ी, 01 यामाहा FZ बाइक, 16 मोबाइल फोन, 07 डेबिट कार्ड, 04 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 01 ड्राइविंग लाइसेंस, 01 पासबुक, 15 सिम लिफाफे, 02 गेमिंग कार्ड, 01 प्रेस कार्ड, 02 चेन पीली धातु, 07 बालियाँ पीली धातु, 02 अंगूठी पीली धातु, 01 चेन सफेद धातु, 02 बालियाँ सफेद धातु, 02 अंगूठी सफेद धातु, 01 ब्रेसलेट सफेद धातु, 01 हाथ का कड़ा सफेद धातु, 01 छल्ला सफेद धातु व 19000 रुपये नगद बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को ₹25,000 के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण/अपराध करने का तरीका-

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे एक्सिस मैक्स लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, एसबीआई लाइफ, टाटा एआईए लाइफ एवं बजाज लाइफ जैसी इंश्योरेंस कंपनियों के अधिकारी/कर्मचारी बनकर पॉलिसी लैप्स, रिन्यूअल, बोनस एवं अन्य लाभ दिलाने के नाम पर पॉलिसीधारकों को विश्वास में लेते थे तथा चार्ज/फीस/टैक्स आदि के नाम पर ऑनलाइन धनराशि विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करवाकर ठगी करते थे। ठगी की रकम एटीएम से निकालने के बाद मोबाइल नंबर व फोन बदलकर पुनः इसी प्रकार साइबर ठगी करते थे। पॉलिसीधारकों का डाटा इनके सहयोगियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता था।

नोट - एनसीआरपी पोर्टल पर अभियुक्तों के विरुद्ध वर्तमान में 51 शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें 14 राज्यों—मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, लद्दाख एवं गोवा से संबंधित लगभग ₹1.20 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें शामिल हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. शुभम पुत्र अशोक कुमार निवासी एफ 85 सेक्टर 12 विजय नगर प्रताप विहार थाना विजय नगर गाजियाबाद (शिक्षा- 12th) पूर्व में प्राइवेट बैंक में कार्यरत ।
2. तरुण सिंह पुत्र भाषकर सिंह निवासी म0नं0 5 न्यू मिनाक्षीपुरम थाना गंगा नगर जिला मेरठ (शिक्षा-12th) ।
3. सुमित पुत्र श्याम निवासी मोहल्ला कसेरुखेडा थाना गंगानगर जिला मेरठ (शिक्षा- 12th) ।
4. गौतम पुत्र बोबी निवासी म0नं0 05 साई गार्डन एन्कलेव थाना गंगानगर जिला मेरठ (शिक्षा- 12th) पूर्व में प्राइवेट बैंक में कार्यरत ।
5. उमंग पुत्र राजाराम निवासी मोहल्ला कसेरुखेडा थाना गंगानगर जिला मेरठ (शिक्षा- 12th) पूर्व में एयरटेल बैंक में कार्यरत ।
6. निशान्त पुत्र सुभाष चन्द निवासी मिनाक्षीपुरम खटकानापुर थाना गंगानगर जिला मेरठ (शिक्षा- पीएचडी स्कॉलर प्रथम वर्ष) ।
7. प्रियांशु पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी सिलंगी जिला चमोली उत्तराखण्ड वर्तमान पता सेनिक कालोनी गंगा नगर थाना गंगानगर मेरठ (शिक्षा BBA 1st year) ।
8. सुमित पुत्र दिनेश निवासी सेक्टर 12 प्रताप विहार थाना विजय नगर जिला गाजियाबाद (शिक्षा BBA-3RD year) ।

बरामदगी का विवरण:-

जिनके कब्जे से साइबर फ्रॉड से अर्जित संपत्ती से 01 स्कॉर्पियो-एन गाड़ी, 01 यामाहा FZ बाइक, 16 मोबाइल फोन, 07 डेबिट कार्ड, 04 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 01 ड्राइविंग लाइसेंस, 01 पासबुक, 15 सिम लिफाफे, 02 गेमिंग कार्ड, 01 प्रेस कार्ड, 02 चेन पीली धातु, 07 बालियाँ पीली धातु, 02 अंगूठी पीली धातु, 01 चेन सफेद धातु, 02 बालियाँ सफेद धातु, 02 अंगूठी सफेद धातु, 01 ब्रेसलेट सफेद धातु, 01 हाथ का कड़ा सफेद धातु, 01 छल्ला सफेद धातु व 19000 रुपये नगद बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक श्री बृजेश कुमार थाना प्रभारी साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
- 2-निरीक्षक श्री निशान सिंह थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 राघवेन्द्र सिंह थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 मोना शर्मा थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
- 5-उ0नि0 डौली पचौरी थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
- 6-है0का0 उमेश वर्मा थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
- 7-है0का0 दीपक कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
- 8-है0का0 रवेन्द्र सिंह थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
- 9-का0 464 ललित मोरल थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।
- 10-का0 340 मोहित भाटी थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत ।



BAGHPAT POLICE



बागपत पुलिस द्वारा "ऑपरेशन स्माइल" के अन्तर्गत माह सितम्बर- 2026 में कुल-
28 गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गया:-

बागपत पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माइल" के अन्तर्गत माह अगस्त 2026 में कुल-28 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है।

क्र०सं०	थाना	मु०अ०सं०	धारा
1	बागपत	618/26	137(2) बीएनएस
2	बागपत	624/26	87 बीएनएस
3	बागपत	638/26	137(2) बीएनएस
4	बिनौली	237/26	137(2) बीएनएस
5	बिनौली	251/26	137(2) बीएनएस
6	बिनौली	272/26	87 बीएनएस
7	बिनौली	278/26	87 बीएनएस
8	खेकडा	206/26	137(2) बीएनएस
9	खेकडा	287/26	87 बीएनएस (2)
10	खेकडा	319/26	87 बीएनएस
11	चांदीनगर	95/26	137(2) बीएनएस
12	बालैनी	117/26	140(3) बीएनएस
13	बालैनी	134/26	140(3) बीएनएस
14	बडौत	547/26	137(2)/161(2) बीएनएस

15	बडौत	571/26	137(2) बीएनएस
16	बडौत	615/26	137(2) बीएनएस
17	बडौत	611/26	137(2) बीएनएस
19	बडौत	624/26	87 बीएनएस
19	बडौत	676/26	87 बीएनएस
20	दोघट	266/26	87 बीएनएस
21	दोघट	251/26	137(2) बीएनएस
22	दोघट	294/26	137(2) बीएनएस
23	दोघट	308/26	87 बीएनएस
24	रमाला	163/26	137(2) बीएनएस
25	छपरौली	179/26	137(2) बीएनएस
26	छपरौली	197/26	137(2) बीएनएस
27	छपरौली	223/26	137(2) बीएनएस



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकडा

दिनांक 01.10.2026

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्करो को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 39 पेटी (कुल 351 लीटर) अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का व घटना में प्रयुक्त एक ब्रेजा कार बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 39 पेटी (कुल 351 लीटर) अवैध देशी



शराब हरियाणा मार्का व घटना में प्रयुक्त एक ब्रेजा कार रजि नंO DL3CDC8510 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 351/26 धारा 63/72 उ0प्र0 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.आकाश पुत्र विजयपाल नि0 ग्राम बाघू थाना व जनपद बागपत उम्र 27 वर्ष।
- 2.हिमांशु पुत्र रोहताश नि0 ग्राम बाघू थाना व जनपद बागपत उम्र 25 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त आकाश का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 269/19 धारा 147/148/323/324/504 भादवि थाना कोतवाली बागपत।
- 2.मु0अ0सं0 126/26 धारा 60/63/72 उ0प्र0 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली बागपत।
- 3.मु0अ0सं0 351/26 धारा 63/72 उ0प्र0 आबकारी अधि0 थाना खेकड़ा।

गिरफ्तार अभियुक्त हिमांशु का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 976/17 धारा 323/324/504 भादवि थाना कोतवाली बागपत।
- 2.मु0अ0सं0 126/26 धारा 60/63/72 उ0प्र0 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली बागपत।
- 3.मु0अ0सं0 703/25 धारा 60/63/72 उ0प्र0 आबकारी अधि0 थाना लोनी वार्डर गाजियाबाद।
- 4.मु0अ0सं0 351/26 धारा 63/72 उ0प्र0 आबकारी अधि0 थाना खेकड़ा।

बरामदगी का विवरण-

- 39 पेटी (कुल 351 लीटर) अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का।
- घटना में प्रयुक्त एक ब्रेजा कार रजि नंO DL3CDC8510

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना खेकडा बागपत जनपद बागपत।
- 2 उ0नि0 श्री भुवनेश्वर कुमार थाना खेकडा बागपत जनपद बागपत।

- 3.है0का0 86 अजय कुमार थाना खेकड़ा बागपत जनपद बागपत ।
4.का0 84 मोहित त्रिपाठी थाना खेकड़ा बागपत जनपद बागपत ।
5.रि0का0 546 कृषवीर थाना खेकड़ा बागपत जनपद बागपत ।
6.रि0का0 217 आकाश थाना खेकड़ा बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक- 01.10.2026

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर
बरामद ।

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अंतर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।



उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर

मु0अ0सं0 701/26 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कपिल पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जिला बागपत उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- है0का0 787 गौरीशंकर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3- है0का0 820 अमित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 01.10.2026

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 41 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 41 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0-302/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

लोकिन्द्र पुत्र सिम्बु निवासी ग्राम जहानगढ उर्फ दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत ।



बरामदगी का विवरण-

- 41 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री सन्नी कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 231 सतेन्द्र नागर थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-रि०का० 146 अभिषेक गुर्जर थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 01.10.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 205/26 धारा

190/191(2)/191(3)/109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.10.2026 को श्री फारुख पुत्र मंगता निवासी ग्राम बराल थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. जुबेर पुत्र अब्बास, 2. फारुख पुत्र इस्लामू, 3. सरफराज पुत्र साजिद, 4. अब्बास पुत्र बुली, 5. मोमीन पुत्र अनिश निवासीगण ग्राम बराल थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा



वादी के चचेरे भाई के साथ धारदार हथियार, रोड व डण्डे लेकर जान से मारने की नियत से हमला किया गया, जिससे वादी के भतीजे अरमान के सिर में चोट आई तथा मारपीट गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के

आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 205/26 धारा 190/191(2)/191(3)/109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 205/26 धारा 190/191(2)/ 191(3)/109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अब्बास पुत्र बुली वर्ष निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ0नि0 श्री युवनीश कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2.का0 1043 सुनील यादव थाना रमाला जनपद बागपत।
- 3.हो0गा0 572 प्रवेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 01.10.2026

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 126/26 धारा 305/324/317(2) बीएनएस व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ सीसीटीवी कैमरा व घटना में प्रयुक्त कार निसान मैगनाईट रजि0न0 UP14FK 2842 बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.09.2026 को थाना बालैनी पर वादी विशाल गुप्ता पुत्र रमेश चन्द्र निवासी सेरवा लठिया सैजनी थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर हाल निवासी (आईटी इन्जीनियर) टोल प्लाजा बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि



वाहन संख्या UP14FK2842 में सवार व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा दिनांक 06.09.2026 की शाम 04.55 बजे टोल प्लाजा के बराबर में लिंक रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरा को चोरी कर लिया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 126/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 126/26 धारा 305/324/317(2) बीएनएस व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ सीसीटीवी कैमरा व घटना मे प्रयुक्त कार निसान मैगनाईट रजि0न0 UP14FK 2842 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कपिल उर्फ विजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम मटौर थाना निवाडी जिला गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ सीसीटीवी कैमरा व घटना मे प्रयुक्त कार निसान मैगनाईट रजि0न0 UP14FK 2842 बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री उमेश कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 3-का0 912 सूरज सिकरवार थाना बालैनी जनपद बागपत।